भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2201

(दिनांक 11.12.2015 को उत्तर देने के लिए)

केबल नेटवर्क का डिजिटलीकरण

2201. डॉ. उदित राज:

श्री फिरोज़ वरुण गांधी:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में केबल टेलीविजन क्षेत्र में डिजिटलीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश के सभी राज्यों में इसके क्रियान्वयन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न शहरों से पंजीकरण हेतु मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) से प्राप्त आवेदन की संख्या कितनी है तथा उक्त शहरों में उपलब्ध एमएसओ का शहर-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को तीसरे चरण में एमएसओ और एलसीओ से विरोध का सामना करना पड़ रहा है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ड.) क्या सरकार ने देश में पूर्ण डिजिटलीकरण की प्राप्ति हेतु गतिरोधों को चिन्हित करने के लिए कोई विस्तृत अध्ययन किया है तथा यदि हां, तो सरकार द्वारा डिजिटलीकरण की प्रकिया को गति देने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री

(कर्नल राज्यवर्धन राठौर) (सेवानिवृत्त)

(क) एवं (ख): मंत्रालय द्वारा दिनांक 11.11.2011 को जारी की गई अधिसूचना सां.आ. 2534 (ई) के अनुसार भारत में केबल टीवी का डिजिटीकरण चार चरणों में पूरा किया जाना है। चरण-I, जिसमें चार महानगरों नामत: दिल्ली, कोलकाता, चेन्नै एवं मुंबई को कवर किया गया है, चेन्नै को छोड़कर शेष जगहों पर दिनांक 31.10.2012 को पूरा हो

गया है क्योंकि चेन्नै में कुछ न्यायालयीय मुकदमे लंबित हैं। केबल टीवी डिजिटीकरण का चरण-II, जिसमें 10 लाख से अधिक की आबादी वाले 38 शहरों को कवर किया गया है, कोयम्बटूर को छोड़कर शेष जगहों पर दिनांक 31.03.2013 को पूरा हो गया है क्योंकि वहां कुछ न्यायालीय मुकदमे लंबित हैं। केबल टीवी डिजिटीकरण का चरण-III सभी शहरी क्षेत्रों (चरण-I और चरण-II में पहले से कवर किए गए क्षेत्रों को छोड़कर) को कवर करेगा जिनके लिए अंतरण की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2015 है जबकि शेष-भारत को कवर करने वाले चरण-IV के लिए अंतिम तारीख 31 दिसम्बर, 2016 है।

(ग): अभी तक की स्थिति के अनुसार देश भर के केबल टीवी के डिजिटल संबोधनीय प्रणाली (डास) अधिसूचित क्षेत्रों में और/अथवा विस्तारित क्षेत्रों में प्रचालन करने के लिए प्रथम बार बहु-प्रणाली प्रचालक (एमएसओज़) के रूप में पंजीयन कराने हेतु मंत्रालय में 1158 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब तक, 230 नियमित पंजीयन और 323 अस्थायी पंजीयन अर्थात कुल 553 पंजीयन जारी किए गए हैं। 27 बहु-प्रणाली प्रचालकों के पंजीयन रद्द कर दिए गए हैं।

शहर-वार तथा राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा मंत्रालय की वैबसाइट **www.mib.nic.in** पर उपलब्ध है।

(घ): जी, नहीं।

(ड.): जी, नहीं। तथापि, केबल टीवी डिजिटीकरण की प्रक्रिया का संचालन करने हेतु सभी स्टेकहोल्डरों को शामिल करते हुए मंत्रालय में एक कार्य-बल का गठन किया गया है। प्रगति का मूल्यांकन करने और उठाए गए मुद्दों के समाधानों का पता लगाने हेतु कार्य-बल की मासिक बैठकों का आयोजन किया जाता है।

****